न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

[illegible] ([illegible])

[illegible] 11 / 2014 [illegible] 64 / 2022

[illegible] दिनांक – 20.01.2014

1. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला झुंझुनूं।
2. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला झुंझुनूं।
3. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला झुंझुनूं (मृतक)

3/1. [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला झुंझुनूं।

3/2. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला झुंझुनूं।

3/3. [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला झुंझुनूं।

3/4. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला झुंझुनूं।

4. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला झुंझुनूं।
5. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला झुंझुनूं।

वादी

बनाम

1. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]
2. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला झुंझुनूं।
3. [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला झुंझुनूं।
4. [illegible]
5. [illegible]

प्रतिवादी

उपस्थित पक्ष –

1. श्री [illegible] एडवोकेट – वादी [illegible] 3/1 से 3/4 [illegible]
2. श्री [illegible] – [illegible]
3. श्री [illegible] – प्रतिवादी [illegible]

[illegible]

निर्णय

दिनांक – [illegible]

[illegible] 14/1 [illegible] 14/2 [illegible] 86/30/1 [illegible]

अवस्थित है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 की पैतृक भूमि है। हुकमा के 02 पुत्र हुए चुनाराम व त्रिलोकाराम थे उक्त दोनों का ही देहान्त हो चुका है व चुनाराम के वारिसान में चुनाराम की औरत तारामणी व चुनाराम के पुत्र भीयाराम ला औलाद फौत हो गये। उक्त चुनाराम के हक हिस्से की काश्त की भूमि के खातेदार इस चुनाराम के पुत्र पीथाराम, भागीरथ व सुभकरण की रहे व स्व. त्रिलोकाराम के वारिसान में उसके दो लडके हुए जिनमें लिखमाराम हुए उक्त लिखमाराम का देहान्त हो गया है व लिखमाराम के वारिसान में किस्तुरी तो लिखमराम की औरत है। लिखमाराम के पुत्रों में रामधन, रामप्रताप रामावतार हुए व उक्त त्रिलोकाराम के दुसरे पुत्र रामनारायण है। गत ख.न. के वर्तमान ख.न. का विवरण निम्न प्रकार से है:–

गत ख.न. 14/1 तादादी 14 बीघा 10 विश्वा	वर्तमान ख.न. 63 तादादी 3.67 है.
गत ख.न. 14/2 तादादी 13 बीघा 10 विश्वा	वर्तमान ख.न. 63 तादादी 3.39 है.
गत ख.न. 86/130/1 तादादी 04 विश्वा	वर्तमान ख.न. 262 तादादी 0.05 है.

यह कि जमीन जैर बहस गत ख.न. 14/1 व 14/2 व 86/630/1 वाके ग्राम लुमास का वादीगण व प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 के पूर्वजों चुनाराम व त्रिलोकाराम ने अपने जीवनकाल में ही आपसी सहमती व सहुलियत से बंटवारा कर लिया था। बंटवारे के अनुसार 14/1 व 14/2 जो एक ही खेत था असके पश्चिमी का हिस्सा उक्त चुनाराम के हिस्से में आया व पूर्वी हिस्सा त्रिलोकाराम के हिस्से में आया व इसी प्रकार काबिज है। गत ख.न. 86/130/1 तादादी 04 विश्वा की भूमि भी चुनाराम के हिस्से में आयी व इसी प्रकार काबिज है। यह कि जमीन जैर बहस गत ख.न. 14/1 व 14/2 के पूर्वी तरफ के हिस्से में रामधन वादी संख्या 02 ने अपने हिस्से की भूमि जमीन के भाग पर मकान बनाकर के आवाद है व काश्त करता है व मौके पर काबिज है। जमीन जैर बहस गत ख.न. 14/1 व 14/2 के पूर्वी भाग पर त्रिलोकाराम के वारिसान में उनके स्व. पुत्र लिखमाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व वादी संख्या 01 व 02 काबिज काश्त है। गत ख.न. ख.न. 86/130/1 तादादी 04 विश्वा पर वादीगण 03 लगायत 04 काबिज व काश्त करते है। जमीन जैर बहस गत ख.न. 14/1 च 14/2 व 86/130/1 का बंटवारा अनुबंध के आधार पर राजस्व कैम्प वाहिदपुरा में किया बताया है। परन्तु उक्त बंटवारा में पूर्वी व पश्चिम तरफ की दिशा दर्ज ना करके ख.न. 14/1 व 14/2 व 86/130/1 का ही बंटवारा जैसा पटवारी ने लिखा वैसे ही उक्त स्व. चुनाराम व लिखमाराम ने हस्ताक्षर कर दिये जबकि चुनाराम व लिखमाराम दोनों ही अनपढ थे केवल लिखमाराम अपने हस्ताक्षर करना जानता था व मौके के अनुसार बंटवारा ना करके केवल कागजों में ही बंटवारा कर लिया व नक्शें व कागजों का अवलोकन नही किया पटवारी ने बताया वैसे ही उक्त दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये व पटवारी हलका ने मौके पर जाकर के कोई विभाजन के प्रस्ताव तैयार नही किये राजस्व कैम्प के अभियान में ग्राम वाहिदपुरा में ही बैठ ही प्रसताव बना दिया व प्रस्ताव के अनुसार अनुबंध पर फरीकेन के हस्ताक्षर करवा लिये व अनुबंध ना होकर के इकरारनामा लिखा गया है व इकरारनामा पर भी तस्दीक की इबारत भी दर्ज नही है कानूनन उक्त इकरारानामा भी इकरारनामा की तारीफ में नही आता है। परन्तु तहसीलदार ने इस तरफ कोई गौर नही किया व विना तस्दीक की इबारत के तस्दीक की जगह अटेस्टेड कर दिया व इकरारनामा के पीछे अटेस्टेड की इबारत दर्ज कर दी व यह भी दर्ज नही किया कि इकरारनामा किसने पेश किया व किसने शनाख्तगी की बस केवल अभियान में कार्य की प्रगति दिखलानी थी इस कारण से सारी कार्यवाही बिना पुरी ओपचारिकता व बिना बिभाजन का प्रस्ताव व

बिना लगान का विभाजन व विभाजन के प्रस्ताव के व बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट लिए बाला बाला रूप से कार्यवाही कर दी जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ होने से बिना अनुबंध के सारी कार्यवाही की गई जो अदालत व आदेश दिनांक 20.01.1983 कानून के खिलाफ होने से खारीज होने योग्य है। वादी लगायत 05 ने अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा राजस्व कैम्प वाहिदपुरा में दिनांक 09.02.2008 को कर लिया व उक्त बंटवारा में भी पहले के रिकार्ड का अवलोकन नही किया व ना ही पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर कब्जा काश्त की जांच की व कैम्प मे बैठे बैठे ही सारी कार्यवाही कर दी उक्त बंटवारा में वादीगण 03 लगायत 05 को वैसे कोई एतराज नही है। परन्तु वादीगण 03 लगायत 05 के हक हिस्से की भूमि ख.न. 14/1 व 14/2 के पश्चिम हिस्से की आईहै व उसी पे वादीगण 03 लगायत 05 काबिज है परन्तु ख.न. गलत जर्द होने से उक्त बंटवारा विरूद्ध कानून व पत्रावली व मौके पर कब्जा काश्त के खिलाफ होने से निरस्त योग्य है। गत ख.न. 14/1 व 14/2 जिसके वर्तमान ख.न. 63 रकबा 3.67, ख.न. 62 रकबा 3.39 है. कुल किता 02 रकबा 7.06 का मौके पर वादीगण 01 व 02 तथा प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 का कब्जा व काश्त 3.56 पूर्वी तरफ है व पश्चिम की तरफ वादीगण 03 लगायत 05 का कब्जा व काश्त 3.50 हैक्टर पर है व वादीगण 03 लगायत 05 को गत ख.न. 86/130/1 जिसके वर्तमान ख.न. 262 रकबा 0.05 हैक्टर है। इस प्रकार से आत मौके पर वादीगण व प्रतिवादी निम्न प्रकार से काबिज है व काश्त करते है।

क. वादीगण 01 व 02 तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03– जमीन जैर बहस में पूर्वी तरफ का ख.न. 62 तादादी 3.39 हैक्टर व ख.न. 63 तादादी 3.56 हैक्टर में से पूर्वी तरफ की 0.17 हैक्टर कुल 3.56 हैक्टर पर काबिज है व काश्त करते है व अपने हिस्से की भूमि पर काफी खर्चा लगाकर के भूमि को काश्त के लायक बनाया है व वादी ख्या 02 ने अपने हक व हिससे की भूमि के हिस्से पर मकान बनाकर के आवाद है।

ख. वादी 03 लगायत 05 भूमि ख.न. 63 तादादी 3.56 हैक्टर में से पश्चिम तरफ रकबा 3.50 हे. व ख.न. 262 की रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 02 रकवा 3.55 हैक्टर पर काश्त करते है व अपने हक व हिस्से की भूमि पर काफी खर्चा लगाकर भूमि भूमि को काश्त लायक बनाया है।

जमीन जेर बहस पर वादी न0 02 रामधन ने अपने मकानों का आवासीय पट्टा बनाने के लिए आवेदन किया तो पटवारी हल्का ने मौका मुआयना किया व पटवारी हल्का दिनांक 22.03.2013 के बताया कि भूमि जैर बहस जहां पर आपके मकान बने हे व आपके नाम नही है तो वादी सख्या 02 ने राजस्व रिकार्ड नकल ली तो पता चला कि पुराना रिकार्ड ही गलत बना है।

अतः वाद वादी देश निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर के डिक्री इस आशय की प्रदान की जावे– घोषणा इस आशय को प्रदान की जाये कि जमीन और बहस वर्णित धारा 01 व. 2. वाद पत्र के खातेदार काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 है व इस जमीन का आपसी बंटवारा वाद पत्र क, ख के अनुसार विधिसमत मान्यता दी जाकर के इसी प्रकार के खातेदारी काश्तकार घोषित फरमाया जावे ।जमीन जैर बहत के बंटवारा राजस्व कैम्प वाहिदपुरा में दिनाक 20–1–83 को बंटवारा व आदेश दिनाकं 30–6–83. को विरूद्ध कानून व विरूद्ध पक्षकारान के कब्जा व काश्त होने से व विना अनुवंध व इकरार नामा तस्दीक का ना होने से निरस्त किया जाकर के धारा 7. क. ख. के. अनुसार बंटवारा किया जाकर के इसी रूप में मान्यता दी जावे।यह कि जमीन और बहस का वादपत्र की धारा 7 क ख अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित होने पर

वादीगण व प्रतिवादगण 01 लगायत ३ का बाईमेटरा एण्ड बाउण्डरा बंटवारा किया जाकर के लगान का भी बंटवारा किया जावे व वादी स. .2 द्वारा निर्मित मकानों को वादी संख्या 02 के हिस्से में दर्ज किया जाकर के रास्ते का अंकन कर बंटवारा के बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की जावे ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी न0 01 लगायत 03 की ओर से अभिभाषक पेश हुआ परन्तु जबाव के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाब दावा पेश नही करने पर जबाब देही बन्द की गई। वाद में पुनः प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर आगे की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी गई। प्रतिवादी न0 04 व 05 बाद तामिल के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वाद की ओर से साक्ष्य के रूप में वादी संख्या 05 का शपथ पत्र पेश किया जिस पर दस्तावेजात प्रर्दश 01 मिसल हकियत 1999, प्रर्दश 2 जमाबन्दी 2012, प्रर्दश–3 जमावन्दी सम्वत 2016, प्रर्दश– 4 जमाबन्दी सम्वत 2020प्रर्दश –5 जमावन्दी सम्वत 2024–27, प्रर्दश–6 जमाबन्दी सम्वत 2029–31, प्रर्दशः– जमाबन्दी 2032–35, प्रर्दश 8 जमाबन्दी 2044, प्रर्दश 9 जमाबन्दी 2045–48, प्रर्दश 10 मिलान क्षेत्र, प्रर्दश– 11 आंशिक नक्शाट्रेस, प्रर्दश 12 मिलान क्षेत्र, प्रदर्श 13 2058–61 ख. 63, प्रदर्श 14 2058–61 ख. 62, प्रदर्श 15 2062– ख. 62 व 262, प्रदर्श 16 2062–62 ख. 63, प्रदर्श 17 2066–69 ख. 63, प्रदर्श 18 माननीय न्यायालय उप जिलाधीश के निर्णय दिनांक 30.06.1983, प्रदर्श 19 इकरारनामा विभाजन बाबत, प्रदर्श 20 नकशा किश्तवार विभाजन 30.06.1983 प्रर्दशित करवाये गयं।

विद्वान अधिवक्ता की आम सहमती से वाद पर सीधे बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी न0 01 व 02 के अधिवक्ता ने कथन किया कि वादग्रसत आराजी का आपसी सहमती से दिनांक 30.06.1983 को विभाजन हो चुका है तथा उक्त विभाजन के उपरान्त वादीसंख्या 03 लगायत 05 के मध्य दिनांक 09.02.2008 को पुनः विभाजन हो चुका है। ऐसी स्थिती उक्त वाद पत्र कानूनन वैध नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता वादी न0 03 व 05 के अधिवक्ता की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर कथन किया कि वादग्रस्त का पूर्व में बंटवारा हो चुका है परन्तु वर्तमान मौका कब्जा के अनुसार नही है तथा काश्तकान द्वारा स्थाई निवास बनाकर आबाद है अतः पूर्व आदेश दिनांक 03.06.1983 व बिना तस्दीकशुद्वा इकरारनामा को निरस्त कर वर्तमान मौका कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन के आदेश प्रदान करें।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी न0 03 व 05 के अधिवक्ता की ओर से वाद वादी स्वीकार किया किये जाने का निवेदन किया ।

विधि में भूमि के विभाजन के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 विभाजन का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

विवेचन

प्रस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का पूर्व में माननीय न्यायालय उप जिलाधीश झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 30.06.1983 द्वारा खातेदारान की आपसी सहमती से विभाजन हो चुका है तद उपरान्त वादी संख्या 03 लगायत 05 ने राजस्व कैम्प वाहिदपुरा में आपसी सहमती से दिनांक 09.02. 2008 को अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाया गया है। न्यायालय मत से समस्त खातेदान की आपसी सहमती से ही पूर्व में दिनांक 30.09.1983 को हुए विभाजन में संशोधन किया जा सकता है। मौजुदा वाद में सभी पक्षकरान पुन: विभाजन हेतु सहमत नहीं है। उभय पक्षकारान दिनांक 30.09. 1983 को हुए विभाजन की अपील या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में मौजुद प्रावधानों अनुरूप वाद/अपील हेतु सक्षम न्यायाजय में चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

निर्णय

अतः वाद वादीगण खारीज किया जाता है। उक्तानुसार अन्तिम डिकी जारी हो। मिसल दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः–मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती एव स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :– राजस्व वाद संख्या पुराना 11/2014 नया खाता संख्या 84/2022

उनवान रामनारायण बनाम रामप्रताप वगैरह

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 22.05.2025 के द्वारा वाद वादी खारीज किया जाता है। उक्तानुसार मिसल दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा